

Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2, श्री राव इंद्रजीत सिंह ।

?(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Competition Commission of India (Director-General) Recruitment Amendment Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.518(E) in Gazette of India dated 18th July, 2023 under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 9879/17/23]

(2) A copy of the Notification No. S.O.3238(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th July, 2023 exempting the Regional Rural Banks notified under sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Bank Act, 1976, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Competition Act, 2002, for a period of five years from the date of publication of the notification in the Official Gazette, issued under Section 54 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 9880/17/23]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

(i) The Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.242(E) in Gazette of India dated 31st March, 2023.

(ii) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.298(E) in Gazette of India dated 17th April, 2023.

(iii) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Second Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.354(E) in Gazette of India dated 10th May, 2023.

(iv) The Companies (Compromises Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.367(E) in Gazette of India dated 31st May, 2023.

(v) The Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.408(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (i) and (ii) of (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9881/17/23]

(5) A copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in G.S.R.411(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2023, under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 9882/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

?(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9883/17/23]

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे ।

?(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3645(अ) जो 5 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(दो) का.आ. 3595(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पैनगंगा वन्याजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(तीन) का.आ. 4205(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेलघाट बाघ रिजर्व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(चार) का.आ. 668(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लोनार वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(पांच) का.आ. 837(अ) जो 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उमरेद करहांडला वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(छह) का.आ. 1175(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(सात) का.आ. 3996(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गौतला औतरामघाट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(आठ) का.आ. 1565(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (हाल ही में नया नाम यशवंतराव चव्हाण सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य) पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(नौ) का.आ. 1603(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फणसाड वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(दस) का.आ. 1604(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(ग्या रह) का.आ. 2202(अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(बारह) का.आ. 1367(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(तेरह) का.आ. 1751(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(चौदह) का.आ. 1752(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गंगेवाड़ी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(पंद्रह) का.आ. 3029(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंच राष्ट्रीय पार्क और मानसिंहदेव वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(सोलह) का.आ. 4892(अ) जो 18 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(सत्रह) का.आ. 27(अ) जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनेर डैम वन्याजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(अठारह) का.आ. 3250(अ) जो 11 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(उन्नीहस) का.आ. 1221(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यवल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(बीस) का.आ. 3249(अ) जो 11 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(इक्कीहस) का.आ. 2633(अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(बाईस) का.आ. 3630(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(तेईस) का.आ. 4004(अ) जो 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र (संशोधन), महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(चौबीस) का.आ. 1196(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(पच्चीहस) का.आ. 918(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(छब्बीहस) का.आ. 2407(अ) जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा करंजा सोहाल ब्लैरकबक वन्याजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(सत्ताकईस) का.आ. 4293(अ) जो 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(अट्टाईस) का.आ. 213(अ) जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बोर टाइगर रिजर्व पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है ।

(उनतीस) का.आ. 1311(अ) जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है ।

(तीस) का.आ. 3307(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैलम वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है ।

(इकतीस) का.आ. 3309(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जैलाड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है ।

(बत्तीहस) का.आ. 3310(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यांगूओपोकपी लोकचाओ वन्याजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है ।

(तैंतीस) का.आ. 2146(अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिरि-माकरू वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण?संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है ।

(चौतीस) का.आ. 4028(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बुनिंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है ।

(पैंतीस) का.आ. 1816(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नोंगखायलैम आरक्षित वन पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मेघालय को अधिसूचित किया गया है ।

(छत्तीस) का.आ. 2942(अ) जो 6 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नरपुह वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मेघालय को अधिसूचित किया गया है ।

(सैंतीस) का.आ. 1966(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुआलरेंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(अड़तीस) का.आ. 2165(अ) जो 25 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा थोरांगटलांग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(उनतालीस) का.आ. 2359(अ) जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लेंगतेंग वन्यशजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(चालीस) का.आ. 2358(अ) जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(इकतालीस) का.आ. 2519(अ) जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दाम्प्याम टाइगर रिजर्व पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(बयालीस) का.आ. 4372(अ) जो 6 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खवांगलुंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(तैंतालीस) का.आ. 1967(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तावी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है ।

(चवालीस) का.आ. 2906(अ) जो 9 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चांदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(पैंतालीस) का.आ. 1654(अ) जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बालूखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(छियालीस) का.आ. 1814(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा देबरीगढ़ वन्यकजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(सैंतालीस) का.आ. 2539(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कुलदिहा वन्यडजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(अड़तालीस) का.आ. 1222(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सुनाबेड़ा वन्यशजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(उनचास) का.आ. 3149(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बदरामा वन्यअजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(पचास) का.आ. 4444(अ) जो 11 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण? संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9884/17/23]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 522(अ) जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 11 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9885/17/23]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नेलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 जो 24 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3984(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) का.आ. 6169(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ.

5481(अ) में कांतेपय संशोधन किए गए हैं ।

(तीन) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टब (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.900(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9886/17/23]

(6) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ड. के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2241(अ) जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 फरवरी, 2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए डॉ. सत्यस प्रकाश यादव, अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9887/17/23]

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

12.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

?(व्यवधान)

14.00½hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE ? Contd.

माननीय सभापति: आइटम नंबर - 5 श्री पंकज चौधरी जी ।

?(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1562(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) 6 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 26/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का.आ.1735(अ) जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) 20 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 29/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने

के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) का.आ.1967(अ) जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) 4 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का.आ.2182(अ) जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) 18 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) का.आ.2368 (अ) जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) 1 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 39/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्या रह) 7 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी

मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) 8 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 41/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) 12 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 42/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) 15 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 44/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) का.आ.2663 (अ) जो 15 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) 23 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 46/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) का.आ.2833 (अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) 6 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 50/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) 13 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 52/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) का.आ.3184 (अ) जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 54/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) कुरियर आयात और निर्यात (क्लिजयरेंस) संशोधन विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 244(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक), (दो), (बाईस) और (तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9888/17/23]

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 537(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 540(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 543(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 547(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 550(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1263(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9889/17/23]

(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 538(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.684(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 544(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 548(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 551(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1266(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9890/17/23]

(5) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 539(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.702(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.703(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 545(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं.

सा.का.नि.704(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 549(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 552(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1269(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9891/17/23]

(6) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.553(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9892/17/23]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर संशोधन (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.118(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ. 1692(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का.आ. 2571(अ) जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) इ-अपील योजना, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2352(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.379(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2023 जो 30 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.452(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.457(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.514(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9893/17/23]

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का निर्माण (भारत की जी20 अध्याक्षता के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2023 जो 24 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9894/17/23]

(9) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम-भाग(5), जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के, उसमें उल्लिखित, कतिपय उपबंध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थारों पर ऐसे रूपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9895/17/23]

(10) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 30 जून, 2023 का परिपत्र सं. एफ.सं. 370142/23/2023-टीपीएल, जिसका आशय विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद और उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) संबंधी स्रोत पर कर संकलन (टीसीएस) से संबंधित परिवर्तनों के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करना है तथा जिसकी समसंख्या का एक शुद्धिपत्र 6 जुलाई, 2023 का है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9896/17/23]

(11) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अंत तक बजट से संबंधित प्राप्ति(यों) और व्यय की छमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9897/17/23]

14.01hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury

came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

?(व्यवधान)

14.01½hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury

went back to his seat.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-6, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ।

?(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, with your permission, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Zonal Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Zonal Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9898/17/23]

(3) A copy of the National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2023 of Centrally Protected Monument Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badhshah, Jalaun, Uttar Pradesh (Hindi and English versions) under sub-section (6) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 9899/17/23]

?(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Everything will be done after the Papers Laid on the Table.

?(Interruptions)

माननीय सभापति: आप बैठ जाओ । पेपर ले के बाद आप अपनी बात कहिएगा ।

?(व्यवधान)

14.02hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri T. N. Prathapan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-7, श्री रामेश्वर तेली जी ।

?(व्यवधान)

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति जी, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।?(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 9900/17/23]

माननीय सभापति: मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर दूंगा । आप अपने स्थान पर चले जाइए ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-8, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ।

?(व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) स्टैंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) योजना (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), राजस्थान के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) स्टैंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) योजना (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), राजस्थान के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9901/17/23]

(3) (एक) स्टैंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) (ओडिशा स्कूल-शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण) योजना, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) स्टैंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) (ओडिशा स्कूल-शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण) योजना, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9902/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9903/17/23]

(7) (एक) समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9904/17/23]

(9) (एक) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9905/17/23]

माननीय सभापति: पेपर ले के बाद आप अपनी बात कहिएगा ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-9, श्री बी.एल. वर्मा जी ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

?(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, श्री बी.एल. वर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9906/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-11, डॉ. भागवत कराड जी ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाइए । मैं आपको अवसर दूंगा ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-10, डॉ. सुभाष सरकार जी ।

?(व्यवधान)

*m09 शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9907/17/23]

(3) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 21 के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/498/2023/एमएसई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) वास्तुकला पारेषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/498/2023/एमएसई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9908/17/23]

(4) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9909/17/23]

(6) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9910/17/23]

(8) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9911/17/23]

(10) (एक) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9912/17/23]

(12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9913/17/23]

14.04½hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE ? Contd.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-11, डॉ. भागवत कराड जी ।

*m10 विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, डॉ. भागवत कराड की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17(क) की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3345(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3346 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Library, See No. LT 9914/17/23]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9915/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9916/17/23]

(4) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9917/17/23]

14.04³/₄ hrs

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-12, श्री पी.पी. चौधरी जी ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग सीट पर वापस चले जाइए । इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका देंगे ।

?(व्यवधान)